[2019] 4 एस.सी.आर. 1

पुनि देवी एवं अन्य
बनाम
तुलसी राम
(क्रिमिनल अपील सं० 263/2019) फरवरी 13, 2019
[न्यायमूर्ति डा० धनन्जय यशवंत चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता]

दंड संहिता, 1860 – धारा 379, 427, 447 और 504 सहपठनीय धारा 149 – आपराधिक अतिचार और चोरी –शिकायतकर्ता–प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि उसके बाद अभियुक्तों ने उसकी भूमि पर अतिक्रमण किया और उसके बाद उन्होंने गेहूँ की फसल काट कर ज़मीन से हटा दी और गेहूँ का गट्ठर लेकर भाग गये – विचारण न्यायालय रिकॉर्ड पर अभिलेखों का अवलोकन एवं सराहना करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपराध हुआ स्थापित नहीं हुआ है – यद्यपि, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया –अपील पर ,आयोजित:साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि उभय पक्षकारों के मध्य भूमि के संबंध में विवाद था क्यूंकि दोनों पक्ष इस भूमि पर अपना अध्यासन होने का दावा कर रहे थे और उसी के संबंध में उभयपक्ष के मध्य एक मुकदमा लंबित था– इस साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कोई ऐसा ठोस साक्ष्य नहीं था, जिससे शिकायतकर्ता का उक्त भूमि पर अध्यासन स्पष्ट हो – जिसके कारण गेहूं की फसल की अवैध कटाई के प्रकरण को संदिग्ध बना दिया गया था – विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया – उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को रद्द करना उचित नहीं था।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 263/2019.

दिनांक 20.11.2018 के निर्णय एवं आदेश/ उच्च न्यायालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश के दण्ड की मात्रा पर आदेश दिनांकित 21.12.2018, आपराधिक अपील संख्या 448/2010.

सुश्री राधिका गौतम, अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का आदेश डॉ० धनंजय वाई चंद्रचूड़,जे. द्वारा पारित किया गया
1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. नोटिस की तामील के उपरान्त भी शिकायतकर्ता–प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

3. यह अपील उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय दिनांकित 20 नवंबर 2008 से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा अपराधमुक्त किए जाने के आदेश को उत्क्रमित कर दिया गया। अपीलकर्ताओं पर धारा 379, 427, 447 और 504 सहपठनीय धारा 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंडी के समक्ष प्रकरण एक निजी परिवाद से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता (इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी) का मामला यह है कि वह ग्राम बटौर, इलगा तुंगल उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी में स्थित खसरा नंबर 817 की भूमि का स्वामी है और उस पर अध्यासित है। आरोप था कि 29 मार्च 2007 को शाम करीब 6.30 बजे अभियुक्तों ने गैरकानूनी सभा का गठन किया और शिकायतकर्ता की भूमि में अतिक्रमण किया। यह आरोप था कि इसके बाद उन्होंने जमीन से गेहूं की फसल काट कर हटा दी और शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी और दामाद के साथ मिलकर उनका विरोध करने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद यह आरोप लगाया कि अभियुक्त, इसके पश्चात लगभग 1500 रूपये के साथ गेहूं का बंडल लेकर मौके से भाग गया।

5. विचारण न्यायालय के ने फैसले के दौरान तीन प्रमुख साक्ष्यों की मुख्य एवं प्रति–परीक्षा का विस्तृत विश्लेषण किया। सीडब्ल्यू–1, शिकायतकर्ता, ने यह गवाही दी थी कि उस घटना के दिन शाम को करीब 6 बजे, जब वह अपनी जमीन पर गया तो उसने अभियुक्त को खेत से गेहूं की फसल काटते देखा. शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसने उसका विरोध करने का प्रयास किया, तो अभियुक्त ने उस पर दरांती से वार कर दिया। बाद में शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद, अभियुक्त मौके से भाग गया।

6. अपनी प्रति–परीक्षा के दौरान शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि ग्राम बेतौर एक बड़ा गाँव है। गवाह को इस तथ्य का प्रतिमुखन करना पड़ा कि किसी भी ग्रामीण ने इस घटना को नहीं देखा था। उसने यह स्वीकार किया कि उसने प्रधान या पंचायत के सदस्य को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

7. सीडब्ल्यू–2 मीना देवी, जो शिकायतकर्ता की बेटी है, ने यह स्वीकारा है कि इस घटना के दौरान अभियुक्त ने ने शिकायतकर्ता के साथ केवल दुर्व्यवहार किया था, उसके साथ मारपीट नहीं की थी। उसने यह स्स्वीकार किया कि पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है।

8. सीडब्ल्यू–3 ने अपनी प्रति–परीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को पीटा नहीं था, लेकिन वहां विवाद हुआ था। उपरोक्त साक्ष्य, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रेक्षित।'नंबर 8–II/2007

पुनी देवी एवं अन्य बनाम तुलसी राम

[डॉ० धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ने संकेत मिलता है कि उभय पक्षकारों के मध्य भूमि के संबंध में विवाद था, क्यूंकि दोनों पक्ष इस भूमि पर अपना अध्यासन होने का दावा कर रहे थे। सीडब्ल्यू–2 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि एक मुकदमा विवादित भूमि के संबंध में लंबित था। इस साक्ष्य पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता के कब्जे को इंगित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। अतः गेहूँ की फसल की अवैध कटाई का पूरा मामला संदिग्ध प्रतिपादित किया गया। विचारण न्यायालय ने पाया कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया था। सीडब्ल्यू–2 और सीडब्ल्यू–3, जो शिकायतकर्ता की बेटी और दामाद थे, ने भी यह स्वीकार किया कि उभयपक्ष के मध्य विवाद था और शिकायतकर्ता पर हमला नहीं किया गया था। इसके अलावा, ऐसा कोई संपृक्त साक्ष्य नहीं है जो यह संकेत दे कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर ऐसा बोला गया है जो पीड़ित को अपमान करने का इरादा या जानते हुए कि ऐसा करने से पीड़ित को सार्वजनिक शांति भंग

करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाय. इन कारणों से, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपराध स्थापित नहीं हुआ था।

9. उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा साक्ष्यों की पुनः सराहना की। उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर, हमें मूल पहलू पर कोई विवेक का प्रयोग नहीं दिखा कि उच्च न्यायालय विमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील पर विचार कर रहा था। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में ऐसा कुछ नहीं है जो दृष्टिकोण की विकृति का संकेत देता हो। विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यानपूर्वक आँका है। उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के सुविचारि निष्कर्षों को रद्द करना न्यायसंगत नहीं रहा। परिणामस्वरूप, हम विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को बरकरार रखते हैं।

10. अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश निरस्त किया जाता है

अंकित ज्ञान की अपील स्वीकृत

Translated/Vetted by :
Arvind Gautam
Addl. Principal Judge, Family Court
Saharanpur